उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)
Website: www.upptcl.org | E-mail: corporateaccounts@upptcl.org
CIN. NO. U40101UP2004SGC028687 | GSTIN: 09AAACU8823E1Z9
शक्ति भवन विस्तार 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001 | Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001

पत्रांक – /उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/मु0/लेखा/F-123(2)/192(T) दिनांक– 14.12.2021

कार्यालय ज्ञाप

कोविड महामारी के दृष्टिगत् आपूर्तिकर्ताओं/कार्यदायी संस्थाओं को वित्तीय तरलता उपलब्ध कराने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0–09/04/2021 दिनांक 12.11.2020 को कम्पनी अन्तर्गत अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल की 79वीं बैठक, दिनांक 18.11.2021, में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 अन्तर्गत निष्पादित अनुबन्धों के आपूर्तिकर्ताओं/कार्यदायी संस्थाओं को वित्तीय तरलता उपलब्ध कराने हेतु उनके द्वारा जमा की गई गारण्टी को कम किये जाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप को निम्नलिखित शर्तों के आधीन अंगीकृत किया जाता है–

1. वर्तमान तथा भविष्य के सभी टर्नकी अनुबन्धों की सिक्यूरिटी/परफार्मेन्स/सिक्यूरिटी कम परफार्मेन्स बैंक गारण्टियों में कोई परिवर्तन न किया जाये।
2. ऐसे अनुबन्ध जिसमें समस्त कार्य पूर्ण हो चुके है तथा जिनका पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत हो चुका है परन्तु जिनकी परफार्मेन्स अवधि पूर्ण नहीं है, उन अनुबन्धों की परफार्मेन्स बैंक गारण्टी का मूल्य 10% से कम कर के 03% कर दिया जाये।
3. वर्तमान के समस्त आपूर्ति अनुबन्धों तथा ऐसे आपूर्ति अनुबन्धों/निविदाओं जिनको 31.12.2021 तक निर्णीत/निर्गमित किया जाना है, में परफार्मेन्स बैंक गारण्टी का मूल्य 10% से 03% कर दिया जाये।
4. उपरोक्तानुसार जिन अनुबन्धों की परफार्मेन्स बैंक गारण्टी में कमी की छूट प्रदान की जाये वह अनुबन्ध की सम्पूर्ण अवधि तक, जो यदि दिनांक 31.12.2021 के पश्चात भी हो, जारी रहेगी।
5. परफार्मेन्स बैंक गारण्टी में कमी की छूट ऐसे किसी अनुबन्ध में लागू नही होगी जिनमें आरबिट्रेशन/न्यायिकवाद प्रक्रियाधीन है अथवा प्रारम्भ किया जाना विचाराधीन है।

इस सम्बन्ध में अग्रेतर विस्तृत दिशा–निर्देश (यदि आवश्यक हों) प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्गत किये जायेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक – 1420/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/मु0/लेखा/F-123(2)/192(T) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन)/(कार्य एवं परियोजना)/(आपरेशन)/(वाणिज्य), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम)/(पारेषण मध्य)/(पारेषण दक्षिण पश्चिम)/(पारेषण दक्षिण मध्य)/(पारेषण उत्तर पूर्व)/(पारेषण दक्षिण पूर्व)/(संचार एवं नियन्त्रण)/(जानपद पारेषण)–प्रथम/(जानपद पारेषण)–द्वितीय, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, मेरठ/लखनऊ/आगरा/झांसी/ गोरखपुर/प्रयागराज।
6. परिक्षेत्रीय लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कायार्लय (पारेषण पश्चिम)/(पारेषण मध्य)/(पारेषण दक्षिण पश्चिम)/(पारेषण दक्षिण मध्य)/(पारेषण उत्तर पूर्व)/(पारेषण दक्षिण पूर्व), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, मेरठ/लखनऊ/आगरा/झांसी/गोरखपुर/प्रयागराज।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन (विस्तार), लखनऊ की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

13/12/2021

(रंजन कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वित्त)